

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखपुर औद्योगिक क्षेत्र अजमेर  
305002



By speed post/Email  
Violation Letter  
Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhapura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-  
2695202

ई-मेल : ro.ajmer@ibm.gov.in

संख्या : E5923 MCDR-MiFLOGEN/10/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM दिनांक : 09/01/2024

प्रेषित : श्री नारायण सिंह, खान मालिक,

पोस्ट-बुधा ताला, भीयड़, तहसील-शिव,

जिला-बाड़मेर (राजस्थान)-344701, Email: [narayansinghrathore999@gmail.com](mailto:narayansinghrathore999@gmail.com)

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Mokhab (64/2013) Siliceous Earth Mine over an area 4.9 Ha. in Barmer district of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection carried out by Shri Ajay Kumar Jatolia, AME on 22/11/2024 in presence of Mine Officials.

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 12.03.2021): - ➤ 7.0m to 8.0 m the height of mineral bench was observed against 4.0 m the height of mineral bench proposal. ➤ Plantation has proposed near pillar 'A' but plantation has not been carried out on proposed location.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अन्तर्गत:

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंधान की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतीशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा)

क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपी सूचनार्थ :

1. खान नियंत्रक (उ.आ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, शास्त्री सर्किल, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बाड़मेर।

(चन्द्रेश बोहरा)

क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर